<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ —— माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक – 36 / 2006

<u>याचिकाकर्ता</u> –

मनोज सिंह ठाकुर, पिता श्री बलराम सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी – संतोषी चौक, कुशलपुर, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. रमेश सिंह ठाकुर, पिता स्वर्गीय मनरखान सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी – वामन राव लखे वार्ड, आदर्श नगर, कुशालपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. आनंद राम साहू, पिता श्री रामदीन साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी – साहूपारा, कुशालपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

4. जयनारायण जयलक्षत्री, पिता श्री तिहारू राम जयलक्षत्री, उम्र 36 वर्ष, निवासी – खो–खो तालाब के ऊपर, कुशालपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

5. मुकेश शर्मा, पिता श्री उदयराम शर्मा, उम्र 32 वर्ष, निवासी – इंदिरा चौक, कुशालपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

6. मुन्ना ठाकुर, पिता श्री गुलाब सिंह ठाकुर, उम्र 36 वर्ष, निवासी – दुर्गा मंदिर के पास, हनुमान चौक, कुशालपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

7. दिनेश अग्रवाल, पिता श्री जनक अग्रवाल, उम्र 36 वर्ष, निवासी – इंदिरा चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

8. राजेन्द्र यादव, पिता श्री जगदीश यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी – दंतेश्वरी नगर, कुशालपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

उपस्थित :

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राजीव श्रीवास्तव अधिवक्ता, श्री इंद्रसेन साहू अधिवक्ता के साथ, उपस्थित

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से : श्री पी.के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राघवेंद्र वर्मा के साथ उपस्थित।

उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 7 की ओर से: श्री संदीप दुबे, अधिवक्ता उपस्थित।

उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से : श्री ए.पी. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित।

अन्य उत्तरवादीयो की ओर से: कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक: 4 दिसम्बर, 2006 को पारित

1. यह पुनरीक्षण याचिका छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (अगला संदर्भ— "अधिनियम") की धारा 441–'च' के अंतर्गत दायर की गई है, जो कि दिनांक 14/02/2006 को जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा निर्वाचन याचिका क्रमांक 6/2005 में पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है; जिसके द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 441 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई निर्वाचन याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निर्वाचित प्रत्याशी उत्तरवादी क्रमांक 1 का वामन राव लाखे नगर वार्ड क्रमांक 64, रायपुर (अगला संदर्भ — "वार्ड") से निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने का कोई आधार नहीं है।

2. रायपुर नगर निगम के पार्षद एवं महापौर के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा जारी की गई, जिसमें निर्वाचन की विभिन्न चरणों एवं उनके निर्धारित समयावधि का उल्लेख छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया था, अर्थात् नामांकन पत्र भरने की अवधि 22/11/2004 से 29/11/2004, नामांकन पत्रों की जाँच 30/11/2004, नामांकन वापसी की अवधि 01/12/2004 से 02/12/2004, मतदान 17/12/2004, मतगणना 19/12/2004 तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा 24/12/2004 को निर्धारित की गई थी।

3. याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 तथा उत्तरवादीगण क्रमांक 3 से 8 ने उक्त वार्ड की पार्षद सीट हेतु निर्वाचन में प्रतिभाग किया। याचिकाकर्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आगे "कांग्रेस") का प्रत्याशी था, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 1 को भारतीय जनता पार्टी (आगे "भाजपा") द्वारा नामित किया गया था। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत परिणाम घोषित किए गए, जिसके अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 1 को उक्त वार्ड से निर्वाचित प्रत्याशी घोषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता, जो उक्त निर्वाचन में पराजित हुआ, ने अधिनियम की धारा 441 के अंतर्गत एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसने उत्तरवादी क्रमांक 1, जो उक्त वार्ड से निर्वाचित प्रत्याशी था, के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ता ने अपने निवेदन में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह आरोप लगाया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने मतदान की तिथि से पूर्व भ्रष्ट आचरण किया। उसने मतदाताओं के मध्य **अपना** चित्र एवं चुनाव चिह्न युक्त मतदाता पर्चियाँ वितरित कीं, विभिन्न मतदान केंद्रों पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर फर्जी मतदान कराया, मतगणना में त्रुटियाँ हुईं, और उसने अपने रिश्तेदार सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, जो मतदान केंद्र क्रमांक 470(क) पर मतदान अधिकारी के रूप में पदस्थ थे, से सहायता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, सत्तारूढ़ दल ने आचार संहिता प्रभावशील रहते हुए वार्ड में सड़क, शौचालय तथा नाली निर्माण कराकर उत्तरवादी क्रमांक 1 को अनुचित लाभ पहुँचाया। साथ ही, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा मतदाताओं के बीच जो प्रचार सामग्री वितरित की गई, उसमें छपाई करने वाले, प्रकाशक तथा प्रतियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं था।

5. उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों का विशेष रूप से खंडन किया। तथापि, उसने यह स्वीकार किया कि द्वि–भागीय तात्पर्यित मतदाता पर्चियों का उपयोग किया गया, तथा उसके द्वारा प्रयुक्त प्रचार सामग्री निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मुद्रित करवाई गई थी, जिन पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता तथा प्रतियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख था। उत्तरवादी क्रमांक 2, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं, ने अपने उत्तर में कहा कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ, कोई भी फर्जी मतदान की घटना नहीं हुई, तथा मतगणना प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की गई। यहाँ तक कि मतों की पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ। उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 8 ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों से इंकार किया। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने न्यायालय में अनुपस्थित रहते हुए कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया। उत्तरवादी क्रमांक 5 एवं 6 ने याचिकाकर्ता के कुछ आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकार किया, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 7 ने अपने उत्तर में यह कहा कि याचिकाकर्ता को अपने आरोपों को सिद्ध करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अपने–अपने पक्ष में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात यह प्रतिपादित किया कि याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने के आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। अतः, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से निर्वाचन याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।

7. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की **धारा 441–ख** जिसे नीचे पुनः उद्धृत किया गया है, वह निर्वाचन अथवा [नामांकन] को शून्य घोषित किए जाने के आधार का वर्णन करता है।"

> **धारा 441–ख —– निर्वाचन अथवा [नामनिर्देशनों] को शून्य घोषित किए जाने के आधार।** (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि न्यायालय की यह राय हो कि—–

(क) निर्वाचन अथवा [नामनिर्देशनों] की तिथि को निर्वाचित प्रत्याशी (Returned Candidate) महापौर या पार्षद के रूप में चुने जाने हेतु अर्ह या अपात्र था; या अयोग्य घोषित कर दिया गया था ; या अयोग्य घोषित कर दिया गया था ; या

(ख) निर्वाचित प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या

(ग) कोई नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया है; या

(घ) निर्वाचन अथवा [नामांकन] का परिणाम, जहाँ तक वह निर्वाचित प्रत्याशी से संबंधित है, निम्नलिखित कारणों से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

I. किसी नामांकन को अनुचित रूप से स्वीकृत करने के कारण; या

II. निर्वाचित प्रत्याशी के हित में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे अभ्यार्थी की सहमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया हो; या

III. किसी मत को अनुचित रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा किसी शून्य मत को ग्राह्य करने के कारण; या

IV. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधो का धारा 14 के अधीन बनाये गए नियमों को छोड़कर , जहां तक वे मतदान सूची तैयार करने और पुनरीक्षण से संबंधित है, अनुपालन न करने से । न्यायालय निर्वाचित उमीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करदेगा ।;

(2) यदि न्यायालय की यह राय हो कि निर्वाचित प्रत्याशी अपने अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी है, किंतु न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि—

(क) ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण निर्वाचित प्रत्याशी अथवा [नामांकित व्यक्ति] द्वारा स्वयं नहीं किया गया; तथा प्रत्येक ऐसा भ्रष्ट आचरण उसके निर्देशों के विरुद्ध एवं उसकी सहमति के बिना किया गया है;

(ख) कि प्रत्याशी ने चुनाव या [नामांकन] में भ्रष्ट आचरण की घटनाओं को रोकने हेतु सभी युक्तियुक्त उपाय किए थे; तथा

(ग) कि अन्य सभी दृष्टिकोणों से चुनाव या [नामांकन] प्रत्याशी अथवा उसके किसी भी अभिकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण से मुक्त था;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तब, न्यायालय यह निर्णय ले सकता है की निर्वाचित उमीदवार का चुनाव या नामांकन शून्य नहीं है ।

8. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 441–एच जिसे नीचे पुनः उद्धृत किया गया है, वह भ्रष्ट आचरण का वर्णन करता है।"

धारा 441–एच – भ्रष्ट आचरण – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा—

I. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), की धारा 123 के खंड (1) में परिभाषित रिश्वत;

II. उक्त धारा के खंड (2) में परिभाषित अनुचित प्रभाव;

III. किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से, जाति, मूलवंश, समुदाय या धर्म के आधार पर मत देने या मत न देने की सुनियोजित अपील करना, अथवा राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे

कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग करना या अपील करना, जिससे उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाएँ बढ़ें;

IV. किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से, किसी अन्य अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, अभ्यर्थिता या नाम वापसी के संबंध में कोई तथ्यात्मक कथन प्रकाशित करना, जो कि मिथ्या हो तथा वह स्वयं उसे मिथ्या मानता हो या सत्य मानता न हो, और जो कथन उस अभ्यर्थी की चुनावी संभावनाओं को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया हो;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

V. किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से, किसी मतदाता (स्वयं अभ्यर्थी, उसके पारिवारिक सदस्य अथवा अभिकर्ता को छोड़कर) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमो के अनुसार किसी को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने हेतु किसी वाहन या जलयान को किराए पर लेना या प्राप्त करना, चाहे वह भुगतान के आधार पर हो या अन्यथा:

परंतु यह कि यदि कोई मतदाता या अनेक मतदाता मिलकर अपने संयुक्त व्यय पर किसी वाहन या पोत को मतदान केंद्र तक आने–जाने के लिए किराए पर लेते हैं, और वह वाहन या पोत यांत्रिक शक्ति से चालित नहीं है, तो उसे इस खंड के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा।

परंतु इसके अतिरिक्त यह कि कोई मतदाता अपने स्वयं के व्यय पर सार्वजनिक परिवहन वाहन, ट्राम कार, या रेलयान का प्रयोग करता है मतदान केंद्र तक जाने

या वहाँ से लौटने के लिए, तो उसे भी इस खंड के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड में "वाहन" शब्द का अर्थ है– कोई भी ऐसा वाहन, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन से प्रयुक्त होता है या किया जा सकता है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चालित हो या नहीं, तथा चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने हेतु प्रयुक्त हो या नहीं।

(vi) ऐसे किसी सभा का आयोजन जिसमें मादक पेयों परोसा जाता है।

(vii) निर्वाचन से संबंधित ऐसा कोई परिपत्र, पोस्टर या प्लेकार्ड जारी करना, जिस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता न दिया गया हो।

[(vii–a)] धारा 14–ए के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक निर्वाचन व्यय करना अथवा कराने की स्वीकृति देना।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(viii) ऐसा कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा भ्रष्ट आचरण घोषित करे।

9. छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की **धारा 441–(5)** जिसे नीचे पुनः उद्धत किया गया है, वह बताता है की निर्वाचन में किन बातों का होना आवश्यक है–

धारा 441(5) —– निर्वाचन याचिका में निम्नलिखित बातें अनिवार्यतः शामिल होंगी—–

(क) याचिकाकर्ता जिन प्रमुख तथ्यों पर भरोसा करता है, उनका संक्षिप्त विवरण होना चाहिए;

(ख) पर्याप्त विशिष्टताओं सहित, वे आधार या आधारों का उल्लेख होना चाहिए, जिनके अधीन निर्वाचन अथवा [नामांकन] को चुनौती दी गई है;

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया हो और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) में अभिवचनो के सत्यापन के लिए विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार सत्यापित किया गया हो।

10. अधिनियम की धारा 441–च का प्रावधान नीचे पुनः उद्धृत किया गया है, जो निर्णय की अंतिमता, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप तथा पुनरीक्षण में हस्तक्षेप के आधार का निरूपण करता है।

> **धारा 441–च —– निर्णयों की अंतिमता** – (1) किसी याचिका पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील ग्रहणीय नहीं होगी।
>
> (2) कोई भी व्यक्ति, जो याचिका पर न्यायालय के निर्णय से प्रभावित है, वह उक्त निर्णय की तिथि से तीस दिवस की अवधि के भीतर निम्नलिखित आधारों में से किसी एक पर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकता है—–
>
> **(क)** कि निर्णय विधि के प्रतिकूल है;
>
> **(ख)** कि न्यायालय ने वह अधिकार क्षेत्र प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त नहीं था, या न्यायालय उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा, जो विधि द्वारा उसे प्रदान किया गया था;

परंतु, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन, उक्त निर्णय अंतिम माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अधिनियम की धारा 441–च के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अत्यंत सीमित अधिकार प्रदान किया गया है। यदि जिला न्यायालय का निर्णय विधि के प्रतिकूल है अथवा न्यायालय ने विधि द्वारा प्राप्त अधिकार क्षेत्र का अवैध रूप से प्रयोग किया है, केवल उन्हीं परिस्थितियों में उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षणीय अधिकारिता में जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

12. जहाँ तक मतदाताओं को उनके मत देने के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रश्न है, याचिका में उन मतदाताओं का विवरण नहीं दिया गया है। मतदाता की पहचान को चुनौती देने के संदर्भ में भी आवश्यक तथ्यों और विवरणों का अभाव है, तथा पुनर्मतगणना के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कौन–से प्रयास किए गए, इसका भी याचिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः

आवश्यक तथ्यों और पर्याप्त विवरणों के अभाव में, याचिकाकर्ता द्वारा फर्जी या कपटपूर्ण मतदान अथवा पुनर्मतगणना को प्रभावी रूप से चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, माननीय जिला न्यायाधीश ने उपलब्ध वैधानिक साक्ष्य का विवेचन कर अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जो अनुचित नहीं हैं। अतः, जहाँ तक फर्जी मतदान अथवा अवैध मतगणना के आरोपों का प्रश्न है, उन पर इस न्यायालय द्वारा उसकी पुनरीक्षणीय अधिकारिता में विचार नहीं किया जा सकता।

13. पीठासीन एवं मतदान अधिकारी की नियुक्ति म.प्र. नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 17 द्वारा शासित होती है तथा एकमात्र प्रतिबंध यह है कि नियुक्त किया गया व्यक्ति राज्य शासन, स्थानीय निकाय अथवा सार्वजनिक उपक्रम के अधीन कार्यरत न हो।

फिर भी, यदि याचिकाकर्ता को सुरेन्द्र सिंह ठाकुर को मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाने पर कोई आपत्ति थी, तो उसे यह आपत्ति निर्वाचन से पूर्व ही उठानी चाहिए थी। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि सुरेन्द्र सिंह ठाकुर न तो उत्तरवादी क्रमांक 1 के पारिवारिक सदस्य हैं और न ही निकट संबंधी। इसके विपरीत, स्वयं याचिकाकर्ता मनोज सिंह ठाकुर (अ.सा./1) के कथन से यह सिद्ध हो गया है कि सुरेन्द्र सिंह ठाकुर का संबंध उत्तरवादी क्रमांक 1 से नहीं बल्कि स्वयं याचिकाकर्ता से है। अतः यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि सुरेन्द्र सिंह ठाकुर ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किसी प्रकार का अनाचार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहाँ तक 14/12/2004 से 16/12/2004 के मध्य सड़क, शौचालय एवं नाली निर्माण कार्यों का प्रश्न है, याचिकाकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि उक्त निर्माण कार्य आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की अवधि में स्वीकृत किए गए थे और उन तिथियों के दौरान निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे। अतः यदि कोई कार्य पूर्व से ही स्वीकृत होकर किसी ठेकेदार को आबंटित किया जा चुका था, तो केवल निर्वाचन की आड़ में उस कार्य को इस प्रकार नहीं रोका जा सकता कि आमजन को उसकी उपयोगिता से वंचित कर दिया जाए। अतः, जब तक स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से यह याचिका में नहीं दर्शाया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा शासकीय तंत्र का दुरुपयोग किया गया, तब तक इस आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर यह निष्कर्ष निकाला कि

याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के पश्चात वार्ड में निर्माण कार्य कराया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष वैधानिक साक्ष्यों पर आधारित है, तथा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विकृति परिलक्षित नहीं होती, जिससे उसे अनुचित ठहराया जा सके।

15. उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अपने लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उसने मतदाताओं की पर्चियाँ वितरित की थीं, जिनमें प्रथम भाग में प्रत्याशियों का विवरण तथा द्वितीय भाग में मतदाताओं का विवरण अंकित था। उसने यह भी कहा कि उसने प्रचार सामग्री छपवाई थी, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप थी, तथा उसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता तथा प्रतियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख था।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ प्रदर्श (डी/4), (डी/5) एवं (डी/6), उसकी स्वीकृति के आधार पर प्रमाणित माने जाने चाहिए। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनाइटेड इंडीया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम समीर चंद्र चौधरी, (2005) 5 एस.सी.सी. 784** में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब तक किसी स्वीकृति के माध्यम से उत्पन्न उपधारण का खंडन नहीं किया जाता, तब तक स्वीकृत तथ्य को स्थापित तथ्य माना जाएगा। प्रदर्श (डी/4), (डी/5) एवं (डी/6) वे दस्तावेज़ हैं जिन्हें उत्तरवादी क्रमांक 1 ने स्वयं प्रस्तुत किया है और अपनी लिखित उत्तर में स्वीकार भी किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि ये दस्तावेज़ विधि की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं, और अधिनियम की धारा 441–ज (vii) के अनुसार, इन दस्तावेज़ों का जारी किया जाना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. प्रदर्श (डी/4) और (डी/5) मुद्रित प्रचार सामग्री हैं, जिनमें क्रमशः सुनील सोनी और रमेश सिंह ठाकुर के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया गया है। अतः ये दोनों दस्तावेज़ परिपत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रदर्श (डी/4) में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता, साथ ही

प्रतियों की संख्या अंकित है। प्रदर्श (डी/5) में मुद्रक का नाम, उसका दूरभाष क्रमांक एवं छपी हुई प्रतियों की संख्या का उल्लेख है, और प्रकाशक के स्थान पर "विनीत—भारतीय जनता पार्टी" (Solicit by BJP) छपा हुआ है। नियम यह निर्देशित करता है कि परिपत्र में मुद्रक का नाम एवं पता तथा जिसके द्वारा उसे प्रकाशित किया गया हो, इनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इन दोनों दस्तावेज़ों में मुद्रक का नाम, पता एवं प्रतियों की संख्या अंकित है। जहाँ तक प्रकाशक का प्रश्न है, प्रदर्श (डी/4) में "Published by BJP" छपा है और प्रदर्श (डी/5) में प्रकाशक के स्थान पर "Prayed by BJP" (विनीत: भाजपा) अंकित है। अतः दोनों दस्तावेज़ भाजपा द्वारा प्रकाशित माने जाते हैं और इनमें प्रकाशक का नाम एवं पता समाहित है। किसी भी दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय उसे समग्र रूप से पढ़ा जाना आवश्यक होता है। केवल किसी एक शब्द की अनुपस्थिति से कोई दस्तावेज़ भिन्न श्रेणी में नहीं चला जाता, जब तक कि वही शब्द निर्णायक तत्व न हो। वर्तमान प्रकरण में ये दोनों दस्तावेज़, जो कि परिपत्र की श्रेणी में आते हैं, वास्तव में मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता युक्त हैं, यद्यपि प्रदर्श (डी/5)में प्रयुक्त शब्दावली भिन्न है। अतः, जहाँ तक प्रदर्श (डी/4) एवं (डी/5) का संबंध है, इन्हें अधिनियम की धारा 441–ज (vii) का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. ब्लैक्स लॉ डीक्शनरी (Black's Law Dictionary) में 'Placard' (प्लैकार्ड) शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है—

> ‘Placard (plak–ahrd या plak–erd): (1) ऐतिहासिक रूप से, एक आधिकारिक दस्तावेज़, जैसे कि अनुज्ञप्ति (license) या अनुज्ञा–पत्र (permit)।
>
> (2) ऐसा विज्ञापन जो सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया गया हो।

19. प्रदर्श (डी/6) परिपत्र (circular), प्लैकार्ड (placard) या पोस्टर (poster) की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह एक मतदाता पर्ची (voter slip) है, जिसे मतदान के समय संबंधित मतदाता की पहचान हेतु जारी किया जाना आवश्यक होता है। इसके ऐसा ही एक पर्ची स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा भी प्रयुक्त किया गया है, अर्थात् प्रदर्श (डी/2)। अतः अधिनियम की धारा 441–ज (vii) की अपेक्षाएं प्रदर्श (डी/2) या प्रदर्श (डी/6) पर लागू नहीं होतीं। जहाँ तक

दस्तावेज़ प्रदर्श (डी/3), (डी/4) एवं (डी/5) का संबंध है, यह स्थापित नहीं किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने इन दस्तावेज़ों का उपयोग कर कोई भ्रष्ट आचरण (corrupt practice) किया हो।

20. यह विधि भी, जैसा कि अधिनियम की धारा 441–ख(2) में निरूपित है, यह परिकल्पना करती है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रत्याशी अथवा उसके किसी अभिकर्ता द्वारा किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया है और चुनाव या नामांकन सभी दृष्टियों से निष्पक्ष रहा है, तो ऐसे में चुनाव को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि दस्तावेज़ प्रदर्श (डी/2) अथवा (डी/5) अधिनियम की धारा 441–ज (vii) की सभी विधिक आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते, तब भी इन दस्तावेज़ों में ऐसा कोई तात्विक तथ्य नहीं है जो अन्य प्रत्याशियों के प्रति पक्षपात उत्पन्न करता हो, मतदाता को प्रभावित करने की शक्ति रखता हो अथवा चुनाव परिणाम को वास्तविक रूप से प्रभावित करता हो। अतः यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि यह चुनाव निष्पक्ष था और इसे शून्य घोषित किये जाने योग्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर किसी निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उस तकनीकी दोष ने चुनाव परिणाम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है — और वर्तमान मामला ऐसा नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित विवेचन करने के उपरांत यह पाया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित करे की उसके द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत (perverse) है। जहाँ तक स्वीकृत दस्तावेज़ों (प्रदर्श (डी/4), प्रदर्श (डी/5) एवं प्रदर्श (डी/6)) का संबंध है, यह स्पष्ट है कि इनसे अधिनियम की धारा 441–च (vii) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, ये दस्तावेज़ ऐसे नहीं हैं, जिनका चुनाव परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो अथवा जो भ्रष्ट आचरण (corrupt practice) की श्रेणी में लाए जा सकें।

22. बहस के दौरान अन्य कोई मुद्दा प्रस्तुत नहीं किया गया।

23. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष विधि के प्रतिकूल हैं और न ही विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की गई है अथवा अपने अधिकार–क्षेत्र का प्रयोग करने में असफल रहा है।

24. फलस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका असफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है। पक्षकार अपने–अपने वाद व्यय को वहन करेंगे।

सही/–
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur